छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 342/2007</u>

श्री प्रशांत जोशी,
अधिवक्ता,
पुरोहित लॉज के पीछे,
आमापुरा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 24 सितम्बर 2007)

श्री प्रशांत जोशी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। आवेदक ने शिकायत–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 05–03–2007 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई से 02 बिन्दुओं की जानकारी माँगी थी। श्री राकेश मिश्रा के द्वारा प्रेषित आवेदन एवं उसके संबंध में जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित डिमांड नोट एवं श्री राकेश मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत अपील पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की प्रति माँगी गई थी। उक्त जानकारी निर्धारित अवधि में न मिलने के फलस्वरूप आवेदक ने आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत प्राप्त होने पर अनावेदक को नोटिस दिया गया। आवेदक को जानकारी विलम्ब से दिनांक 23–06–2007 को प्राप्त होने के कारण अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न 5,000/–रुपये की शास्ति अधिरोपित की जावे, जिसके जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नगर पालिक निगम की संबंधित शाखाओं से जानकारी प्राप्त की गई तथा चूँकि श्री राकेश मिश्रा तृतीय पक्षकार के के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जानकारी माँगी गई थी, अतः उन्हें भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये सूचना भेजी गई। श्री राकेश मिश्रा द्वारा जनहित में जानकारी दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी 10 पृष्ठों में दिनांक 30–03–2007 को आवक कक्ष में दी गई। आवेदक ने डाक शुल्क नहीं दिया था, अतः डाक से जानकारी नहीं भेजी गई। बाद में जानकारी भेजी गई जो कि आवेदक के पिता श्री कस्तुरचंद जोशी ने प्राप्त की। जानकारी 30 दिन के पूर्व ही तैयार कर ली गई थी।

2/ प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक दोनों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर विचार किया गया तथा दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि

आवेदक ने दिनांक 05–03–2007 को आवेदन दिया तथा इसका शुल्क भी स्टाम्प के रूप में जमा किया। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पिता को दिनांक 23–06–2007 को जानकारी प्राप्त हुई। नगर पालिक निगम, भिलाई के पत्र क्रमांक 202/5719 दिनांक 30–03–2007 में 10 पृष्ठों की जानकारी आवेदक के पिता श्री कस्तुरचंद जोशी को दिनांक 23–06–2007 को प्राप्त होना अंकित है। आवेदक का तर्क है कि जानकारी विलम्ब से मिली है, अतः अनावेदक पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे तथा उसे मुआवजा दिलवाया जावे। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जानकारी यद्यपि दिनांक 30–03–2007 तक तैयार कर ली गई थी तथा पत्र भी जानकारी सहित जावक लिपिक को दे दिया गया था, जैसा कि अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत कार्यालयीन अभिलेखों से स्पष्ट होता है। अनावेदक का यह तर्क कि आवेदक ने डाक शुल्क जमा नहीं कराया, अतः यह अपेक्षा की गई थी कि आवेदक कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेगा। किन्तु जब आवेदक उपस्थित नहीं हुआ तब नगर पालिक निगम के कर्मचारी के द्वारा डाक से जानकारी आवेदक के निवास के पते पर भेजी गई, जिसे कि उसके पिता ने दिनांक 23–06–2007 को प्राप्त किया। शासन के द्वारा बनाये गये नियमों में कहीं यह प्रावधान नहीं है कि जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदक को पृथक से डाक शुल्क देना होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बनाये गये नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील नियम 2006 दिनांक 17 मार्च 2006) में केवल अपील प्रकरणों के लिये यह प्रावधान है कि अपीलार्थी अपील शुल्क के अलावा डाक शुल्क 25/–रुपये जमा कराता है तो उसे डाक से आदेश की प्रति भेजी जावेगी। अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में माँगी गई जानकारी भेजने हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने पृथक से नियम नहीं बनाये हैं, अतः अनावेदक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि डाक से जानकारी भेजने के लिये डाक–शुल्क जमा नहीं किया गया।

3/ अनावेदक ने बतलाया कि जानकारी समयावधि में दिये जाने हेतु भी जावक लिपिक को प्रदान कर दी गई थी, अतः जानबूझकर विलम्ब से जानकारी देने का उद्देश्य नहीं था। प्रकरण से भी यह स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा संबंधित शाखाओं से जानकारी संकलित कर आवेदक के नाम दिनांक 30–03–2007 को पत्र जारी कर जावक लिपिक को दे दिया गया था। अतः स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी विलम्ब से नहीं दी है। यह विलम्ब जावक शाखा से हुआ है। आयोग के द्वारा पत्र जारी होने पर जब जन सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि आवेदक को जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तब जावक लिपिक के पास रखा गया पत्र कर्मचारी द्वारा आवेदक को भिजवाया गया। चूँकि जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर या द्वेषवश जानकारी विलम्ब से दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध पूर्व में जारी किया गया कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। चूँकि आवेदक को जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई है। अतः आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को निर्देश दिये जाते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत दी जाने वाली महत्त्वपूर्ण पत्रों को विलम्ब से भेजने के लिये संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। आवेदक को जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उसे आर्थिक/मानसिक क्षति हुई है, अतः नगर पालिक निगम, भिलाई को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को

अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत 250/–रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावे।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ इस शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त